


मुख्तारनामा आम खण्डनीय

श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री उन्मद सिंह निवासी- हरिद्वार लक्ष्मणझूला मार्ग
ऋषिकेश जिला देहरादून।
.....मुख्तारदाता



अपनी ओर से अपने विश्वासपात्र छोटे पुत्र योगेश कुमार पुत्र श्री उन्मद सिंह
निवासी- हरिद्वार लक्ष्मणझूला रोड़ ऋषिकेश जिला देहरादून को अपना मुख्तारनामा नियुक्त
कर निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं :-



श्रीमति शकुन्तला देवी

Yours



उत्तरांचल UTTARANCHAL

74 MAY 2007
 मुख्तारनामा आम खण्डनीय
 ऋषिकेश (देहरादून)

A 851944


श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री उम्मेद सिंह निवासी- हरिद्वार लक्ष्मणझूला मार्ग
 ऋषिकेश जिला देहरादून।मुख्तारदाता


जो कि मैं मुख्तारदाता इस मुख्तारनामा विलेख में वर्णित भूमि सम्पत्ति की पूर्ण मालिक, काबिज स्वामी हूँ वर्णित भूमि मुख्तारदाता ने पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से श्री विशम्बर दत्त पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी- लक्ष्मण झूला रोड ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेआम श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री किशन, सिंह, निवासी- 585, हरिद्वार मार्ग लक्ष्मण झूला रोड ऋषिकेश जिला देहरादून से दिनांक- 5.7.2007 को क्रय की है जिसका विधिवत् पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्टार ऋषिकेश में दिनांक- 05.7.2007 को विधिवत् दर्ज है। इस प्रकार मुख्तारदाता को वर्णित भूमि के बावत समस्त सुखाधिकार कानूनन प्राप्त है।



यह कि मैं मुख्तारदाता वृद्ध गृहणी महिला हूँ जिस कारण अपनी वर्णित भूमि सम्पत्ति की देखभाल प्रबन्ध रखरखाव व व्यवसायिक उपयोग, बिजनेस सम्बन्धित कार्यवाही इत्यादि करने में असमर्थ रहती हूँ जिस कारण मैं अपने छोटे पुत्र योगेश कुमार पुत्र श्री उम्मेद सिंह निवासी- हरिद्वार लक्ष्मणझूला रोड ऋषिकेश जिला देहरादून को अपना मुख्तारेआम नियुक्त कर निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता हूँ:-

- यह कि मुख्तारेआम को अधिकार होगा कि वर्णित भूमि सम्पत्ति की सामान्य देखभाल प्रबन्ध, आदि आज से अपने स्वविवेकानुसार करेगे।
- यह कि मुख्तारेआम को अधिकार होगा कि वर्णित भूमि के बावत वाद विवाद उत्पन्न होने की दशा में भारत के निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय, राजस्व न्यायालय तक पैरवी करे, शपथपत्र दे प्रार्थना पत्र दे, अपील पुनरीक्षण आदि सभी कार्य जो भी आवश्यक हो वे सभी आवश्यक कार्य स्वयं सम्पन्न करे एवं उक्त कार्यवाही के लिए अधिवक्ता, प्लीडर नियुक्त करे, मुझ मुख्तारदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- यह कि मुख्तारेआम को अधिकार होगा कि वर्णित भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण करे, विक्रय अनुबन्ध करे, दा0खा0 कार्यवाही करे, विक्रय पत्र का पंजीकरण कराये, एवं तत्स्वरूप प्रतिफल प्राप्त करे, एवं सम्बन्धित दस्तावेज को कार्यालय सबरजिस्टार/रजिस्टार में प्रस्तुत कर पंजीकरण कराये। सभी कार्यवाही मेरे द्वारा की गई कार्यवाही के समान होगी।

 श्री शकुन्तला देवी

2

3. यह कि मुख्तारआम को अधिकार होगा कि वर्णित भूमि के बावत जो-जो कार्य मेरे द्वारा विक्रय सम्बन्धी एवं नगर पालिका, प्राधिकरण, स्थानीय निकाय आदि में किये नामान्तरण व नक्शा पास करने में जो भी आवश्यक कार्रवाही हो मुख्तारआम वर्णित भूमि के बावत सभी कार्य स्वयं सम्पन्न अपने हस्ताक्षरों से करेंगे और मुख्तारआम द्वारा की गई सभी कार्यवाही मेरे द्वारा की गई कार्यवाही के समान समझी व मानी जायेगी और जो कि मुझ मुख्तारदाता को पूर्णतः मान्य व स्वीकार होगी।
4. यह कि वर्णित भूमि सम्पत्ति के बावत मुख्तारआम को अधिकार होगा कि वह वर्णित भूमि व्यवसायिक सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी लेन-देन, रजिस्ट्रेशन आदि सभी व्यवसायिक सम्बन्धित कार्य आज से अपने हस्ताक्षरों से स्वयं सम्पन्न करेंगे।
5. यह कि वर्णित भूमि नगर पालिका ऋषिकेश के क्षेत्रान्तर्गत है जिस कारण भू-अधि० लागू नहीं होता है। तथा मुख्तारनामा खण्डनीय है।

विवरण भूमि

नगर पालिका सम्पत्ति संख्या - 585 का भाग कुल रकबा- 74.55 वर्गमी० जिसमें निर्मित दुकान क्षेत्रफल 18.61 वर्गमीटर तथा आवासीय निर्मित क्षेत्रफल 41.85 वर्गमीटर व शेष खुला क्षेत्रफल 14.09 वर्गमीटर स्थित- 585 का भाग लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून, जिसकी सीमाये निम्न प्रकार है :-

- | | | |
|------------|---|-------------------------------------|
| पूर्व में | - | सम्पत्ति शीलनाथ। |
| पश्चिम में | - | मुख्य लक्ष्मण झूला- हरिद्वार मार्ग। |
| उत्तर में | - | डेढ़ फिट गैलरी बाद सम्पत्ति कोठारी। |
| दक्षिण में | - | सम्पत्ति रणजीत सिंह। |



मुख्तारदाता -	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
दायाहाथ					



24/11/2011

मुख्तारेआम - 4

बायाहाथ अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



दायाहाथ




अतः यह मुख्तारनामा विलोड आज दिनांक- 05/07/2007 ईसवी को स्थान- देहरादून में अपने स्वस्थ मन-चित्त-बुद्धि बिना किसी का सिखलाये बहकावे कहे अपनी सुविधा के लिए अपना मुख्तारेआम नियुक्त कर निम्न गवाहन् के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया है ताकि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।



हो मुख्तारेआम

हो मुख्तारदाता



हो गवाहन

हो मुख्तारदाता का पता

2. मुख्तारदाता का पता

जयपुर

स/क 207 लिट

प/क नजबगढ़ दिल्ली

प्रारूपक एवं फोटो प्रमाणितकर्ता- दिनेश प्रसाद पेंडारानी, पेंडारानी केट
टंकण- मेरे कार्यालय में किया गया।

Advocate

ATTESTED TRUE COPY

J. S. SAJWAN
Notary Rishikesh
Reg. No. 51(01)/2007

12/07/2008

5186-I-2007

विक्रय पत्र

मालियत विक्रय पत्र	-	9,00,000 / ₹0
बाजारी मूल्य	-	11,10,000 / ₹0
महिला हेतु स्टाम्प शुल्क	-	91,000 / ₹0
आवास विकास शुल्क सहित कुल स्टाम्प शुल्क	-	91,000 / ₹0

श्री विशम्बर दत्त पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी- लक्ष्मण झूला रोड ऋषिकेश जिला
 देहरादून द्वारा मुख्तारआम श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी- 525, हरिद्वार मार्ग
 लक्ष्मण झूला रोड ऋषिकेश जिला देहरादून।

[Signature]
 विक्रेता

एवं



श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री उम्मेद सिंह निवासी- हरिद्वार मार्ग ऋषिकेश जिला
 देहरादून।

क्रेता

विवरण भूमि सम्पत्ति
 लेखानुसार

[Signature]
 श्रीमति शकुन्तला देवी

[Signature]



उत्तरांचल UTTARANCHAL

प्राधिकार
78 विक्रय पत्र
ऋषिकेश (देहरादून)

417884



किस्म दस्तावेज	विक्रय पत्र
विक्रय मूल्य	- 9,00,000/-रु०
बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प	
शुल्क अदा किया गया है	- 11,10,000/-रु०
महिला हेतु स्टाम्प शुल्क	- 91,000/-रु०
व्यवसायिक सर्किल दर	- 7000/-रु० प्रतिवर्गमी०
भूमि का क्षेत्रफल	- 74.55 वर्गमीटर
निर्मित क्षेत्रफल (दुकान)	- 18.61 वर्गमीटर
निर्मित क्षेत्रफल (आवास)	- 41.85 वर्गमीटर
खुला क्षेत्रफल	- 14.09 वर्गमीटर
भूमि स्थित मौजा	- 585, का भाग लक्ष्मणझूला रोड़, ऋषिकेश जिला-देहरादून।



विक्रेता एवं केता अनुसूचित जाति व जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
विक्रीत भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु कय की जा रही है।
विक्रीत सम्पत्ति मुख्य लक्ष्मणझूला रोड़ से लगती हुयी भूतल पर व्यवसायिक सम्पत्ति है।
एवं पीछे आवासीय भवन निर्मित है।
विक्रीत सम्पत्ति नगर पालिका ऋषिकेश की सीमान्तर्गत है।
विक्रीत सम्पत्ति गंगा नदी से लगभग 800 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई विवाद नहीं है। तथा वर्णित भूमि
विवादित खसरें नम्बर से बाहर है।
यह कि वर्णित भूमि जड़ छत सहित विक्रय की गयी है।
यह कि वर्णित सम्पत्ति की दीवारे मुस्तरफा है।
यह कि विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य पूर्व में कोई अनुबन्ध पत्र सम्पादित
एवं पंजीकृत नहीं हुआ है।

.....2



Handwritten signature or mark.

Handwritten text in Hindi, possibly a signature or note.



उत्तरांचल UTTARANCHAL

- 2 JUL 2007

418001

ऋषिकेश (देहरादून)

-2-


श्री विशम्बर दत्त पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी- लक्ष्मण झूला रोड़ ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा मुख्ताराम श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी- 585, हरिद्वार मार्ग लक्ष्मण झूला रोड़ ऋषिकेश जिला देहरादून।
.....विक्रेता

एवं

श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री उम्मेद सिंह निवासी- हरिद्वार मार्ग ऋषिकेश जिला देहरादून।
.....क्रेता

यह कि विक्रेता इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति के पूर्ण मालिक काबिज स्वामी है। वर्णित भूमि सम्पत्ति, हर प्रकार के भार बन्धन रहन पारिवारिक वाद विवाद कुर्की अदालत सरकारी गैरसरकारी आदि से पूर्णतः मुक्त एवं पाक व साफ दशा में है। तथा वर्णित सम्पत्ति विक्रेता के नाम नगर पालिका ऋषिकेश के स्वामित्व कर अभिलेखों में दर्ज है।

.....3



श्रीमति शकुन्तला देवी

.....3



उत्तरांचल UTTARANCHAL

417887

-3-

यह कि वर्णित भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण करने के लिए विक्रेता द्वारा अपनी ओर से मुख्तारआम श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी- 585, हरिद्वार मार्ग लक्ष्मण झूला रोड़ ऋषिकेश जिला देहरादून नियुक्त किया है मुख्तारनामा का विधिवत् पंजीकरण कार्यालय, सब रजिस्टार ऋषिकेश के बही नं. 4 जिल्द 84 पृष्ठ 265/272 दस्तावेज नं. 388 पर दिनांक- 24.10. 2005 को विधिवत् दर्ज है और मुख्तारनामा आज भी पूर्णतः प्रभावी है। इस प्रकार विक्रेता मुख्तारआम को वर्णित भूमि सम्पत्ति को विक्रय एवं हस्तान्तरण करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यह कि वर्णित सम्पत्ति का सौदा विक्रेता ने अपनी स्थिर मन बुद्धि इन्द्रियों की स्वस्थ दशा बिना किसी अनुचित दबाव व बहकावे वरन् अपनी स्वच्छन्द इच्छा से क्रेता से कर मु० 9,00,000/रूपये (नौ लाख रूपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दिया है विक्रय मूल्य की प्राप्ति विक्रेता ने इस विक्रयपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व चुकता प्राप्त कर लिया है और अब वर्णित भूमि सम्पत्ति के बावत कुछ भी पाना शेष नहीं रहा है।



श्रीमान्
शकुल (56)

(Handwritten signature)



उत्तरांचल UTTARANCHAL


417888

-4-

यह कि विक्रीत सम्पत्ति से विक्रेता ने अपना कब्जा हर प्रकार से हटाकर व उठाकर मौके पर क्रेता को सौंप दिया है और आज के बाद क्रेता वर्णित भूमि सम्पत्ति के पूर्ण मालिक स्वामी काबिज हो गये है। क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित सम्पत्ति का जिस प्रकार से चाहे, उपयोग एवं उपभोग करे विक्रय एवं हस्तान्तरण करे, निर्माण कार्य करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि क्रेता को अधिकार है कि वह वर्णित भूमि सम्पत्ति के नगरपालिका ऋषिकेश के स्वामित्व कर अभिलेखों से विक्रेता का नाम खारिज करवाकर अपना नाम दर्ज करवा लें इसमें विक्रेता क्रेता को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

.....5



Handwritten signature



उत्तरांचल UTTARANCHAL


28 JUN 2007
ऋगिंकाश (देहरादून)

417885

यह कि वर्णित विक्रीत सम्पत्ति से विक्रेता ने अपना कब्जा हर प्रकार से हटाकर व उठाकर मौके पर क्रेता को सौंप दिया है आज से क्रेता वर्णित भूमि के पूर्ण मालिक स्वामी काबिजे हो गये है क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत सम्पत्ति का जिस प्रकार से चाहे उपयोग एवं उपभोग करे विक्रय एवं हस्तानान्तरण करे किसी को भी कोई आपत्ति नही होगी।

यह कि वर्णित विक्रीत सम्पत्ति पर जो भी सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, रोशनी नाली आदि सभी उपयोग व उपभोग के अधिकार जो भी विक्रेता को प्राप्त है अथवा प्राप्त होना सम्भव हो वे सभी अधिकार क्रेता को भी समान रूप से प्राप्त होंगे।

.....6



श्री. गौरी लाल शर्मा

Handwritten signature



उत्तरांचल UTTARANCHAL

कायाधिकार
2 11 11 2007
-6-


417886


यह कि वर्णित सम्पत्ति में यदि आज से पूर्व जो भी कर्जा देनदारी सरकारी, गैरसरकारी अथवा वाद-विवाद आदि किसी भी प्रकार का पाया जावे तो उन सबकी अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज के बाद लगाये गये सभी कर व देनदारी का भार क्रेता का होगा।

यह कि वर्णित सम्पत्ति अथवा उसका कोई भी भाग विक्रेता के स्वामित्व कमी अथवा दोष के कारण क्रेता के कब्जे से निकल जावे और क्रेता को इस प्रकार कोई हानि सहन करनी पड़े तो क्रेता को अधिकार होगा कि इस प्रकार की हुई हानि विक्रेता से मय हर्जे खर्चे सहित कानूनन वसूल पा लेवे।

.....7




शुद्धांकित





उत्तरांचल UTTARANCHAL

25 DEC 2007 417717

-7-

यह कि इस विक्रय पत्र के पाबन्द दोनों पक्षों के उत्तराधिकारी हितप्रतिनिधि आदि का सनावेश भी समान रूप से समझा व मान जावेगा।

यह कि वर्णित सम्पत्ति का वास्तविक क्रय-विक्रय मूल्य- 9,00,000/-रु० है जबकि स्टाम्प शुल्क की अदायेगी व्यवसायिक सर्किल दर 7000/-रु० प्रतिवर्गमीटर की भूमि 74.55 वर्गमीटर पर ऑकलन कर ऑकलित मूल्य 5,22,000/-रु० व निर्मित क्षेत्रफल दुकान 18.61 वर्गमीटर X 70 X 300 = 3,91,000/-रु० एवं आवासीय भूमि निर्मित पर 41.85वर्गमीटर X 4700 = 1,97,000/-रु० इस प्रकार सम्पूर्ण ऑकलन- 11,10,000/-रु० पर नियमानुसार नाहिला हेतु स्टाम्प में छूट सहित 91,000/-रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

8



शुभमला देवी

शुभमला देवी



उत्तरांचल UTTARANCHAL

25 JUN 2007 417718

-8-

विवरण विक्रीत सम्पत्ति

नगर पालिका सम्पत्ति संख्या - 585, का भाग कुल रकबा- 74.55 वर्गमी० जिसमें निर्मित दुकान क्षेत्रफल 18.61 वर्गमीटर तथा आवासीय निर्मित क्षेत्रफल 41.85 वर्गमीटर व शेष खुला क्षेत्रफल 14.09 वर्गमीटर स्थित- 585 का भाग लक्ष्मण झूला रोड़, ऋषिकेश जिला देहरादून, जिसकी सीमाये निम्न प्रकार है :- ~~20 मीटर~~ ^{270 ई} ~~64~~ ^{270 ई} लजाय (Gandey)

- | | | |
|------------|---|--|
| पूरब में | - | सम्पत्ति शीलनाथ |
| पश्चिम में | - | मुख्य लक्ष्मण झूला रोड़ द्वार मार्ग। |
| उत्तर में | - | डेढ़ फिट गैलरी द्वारा सम्पत्ति कोठारी। |
| दक्षिण में | - | सम्पत्ति रणजीत सिंह। |

.....9



शुक्रांत 25/6/07

Gandey



उत्तरांचल UTTARANCHAL

-9-

320619
25 JUN 2007
नरपिकेश (देहरादून)

विकेता - *A. S. S.*
बांयाहाथ अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्का



.....10

A. S. S.
शकुलाला देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000
पाँच हजार रुपये

Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तरांचल UTTARANCHAL

3206 8
25 JUN 2007
व्यक्ति (केवल)



शकुंतला देवी -10-

अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका

बायाँहाथ



.....11



शकुंतला देवी

Signature



उत्तरांचल UTTARANCHAL

A 111831

उप कोषाधिकारी
-11-
28 JUN 2007
इधिया (देहरादून)

अतः यह विक्रय विलेख आज दिनांक 06.07.2007 को स्थान ऋषिकेश जिला-देहरादून में पक्षकारों द्वारा गवाहन के समक्ष लिखवाकर हस्ताक्षरित कर दिया है ताकि प्रमाण रहे और बक्त जरूरत पर उपयोगी सिद्ध होवे।

.....12





उत्तरांचल UTTARANCHAL

A 111832



अभि कोषाधिकारी
-12-
०९ अगस्त २००७
रिषिकेश (उत्तरांचल)

हो क्रमांक.....

हो विक्रेता.....
(द्वारा मुख्तारआम)



श्री सुभाष/श्री अजय सिंह
व्यवसाय शुद्धा भागी निधिपत्रिका

(Signature)
श्री म प्रकाश शर्मा
श्री लाल सिंह शर्मा
श्री देवकी वर्मा
श्री अजय


R. L. KANDWAL

प्रारूपक एवं फोटो प्रमाणित कर्ता - आर०एल० कण्डवाल, निधिपत्रिका केट
RISHIKESH
टंकण मेरे कार्यालय में किया गया है।


ATTESTED TRUE COPY

(Signature)
J. S. SAJWAL
Notary Rishikesh
Reg. No. 51(01)/2007

26 T-2007



GROUND FLOOR PLAN



BASEMENT

AREA ETC:

- AREA OF LAND: 74.55M²
- COVERED AREA-BASEMENT-RES: 41.85M²
- COVERED AREA-GF: SHOP: 18.61M²
RES: 41.85M²
- OPEN AREA: 14.09M²
- SCALE: 1:200
- COVERED AREA SHOWN AS

SITE PLAN SHOWING THE PROPERTY SITUATED AT 585 HARDWAR RD. RISHIKESH

PROPERTY OWNED AND SOLD BY SRI BISHAMBER DUTY S/O. SRI RAM SWAMP THROUGH-ATTORNEY SRI PRADEEP SINGH.

PROPERTY PURCHASED BY SMT SHA-KUNTALA DEV W/O SRI UMED SINGH.

SAIRAMUJEE SINGH
PURCHASER

SELLER

DRN. B.P.

VEGI. ASSOCIATE Arch, Engineers Valuer RISHIKESH



ATTESTED TRUE COPY
J. S. SAIWAN
Notary Rishikesh
Reg. No. 51(01)/2007

Handwritten signature at the bottom of the page.

388 V

मुख्तारनामा आम

गण्डनोप

श्री विश्वाम्बर दत्त पुत्र श्री राम स्वल्प निवासी - लक्ष्मणा
बूला रोड अधिकाेश जिला- देहरादून।

-- मुख्तारदाता



अपनी ओर से अपने विश्वासपात्र श्री पुटोप सिंह पुत्र श्री किशोर

सिंह निवासी- 585 हरिद्वार मार्ग लक्ष्मणाबूला रोड अधिकाेश जिला-
देहरादून। -- मुख्तारआम

को अपना मुख्तार आम नियुक्त करके निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं/करता है :-

१-यह कि मुख्तार आम मेरी लेखापत्र के अन्त में वणिज सम्पत्ति की सामाग्य देखभाल करेंगे।

२-यह कि वह इस सम्पत्ति से सम्बन्धित मेरी ओर से किसी भी कार्यालय न्यायालय अथवा सवाम अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की भी वांछित कार्यवाही करेंगे।

३-यह कि वह इस सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई बकील, एडवोकेट, मेरिस्टर या प्लीडर यदि आवश्यकता हो तो नियुक्त करेंगे।

४-यह कि वह इस सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार का लेखापत्र मेरी ओर से सम्पादित करेंगे तथा उसमें पैरों का लेन देन यदि कोई हो तो वह भी करेंगे तथा उचित रजिस्ट्रेशन कार्यालय में लेखापत्र की रजिस्ट्री सम्बन्धी कार्यवाही करेंगे।

५-यह कि मुख्तार आम के द्वारा वणिज सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक आवश्यक कार्य मेरे द्वारा ही किया समझा जायेगा तथा मुझे माग्य होगा।

६-यहकि वणिज सम्पत्ति नगर पालिका अधिकाेश की सीमा के अन्तर्गत है, जिस कारण उ.प्र. भूखण्ड जेड. ए. एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है।

(Handwritten signature and date)



-2-

13 OCT 2005
 नमो भगवते वासुदेवाय
 (देहरादून)

मैं कि विशम्बर दत्त पुत्र श्री रामस्वल्प निवासी- लक्ष्मणझूला रोड
 श्रद्धालु का हूँ। तथा इस मुक्तारनामा विलेख में अन्त में वर्णित सम्पत्ति
 का मालिक स्वामी, कब्रिज हूँ वर्णित सम्पत्ति मेरे नाम नगर पालिका
 श्रद्धालु की अभिलेखा में दर्ज है। चूंकि मैं अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहता
 हूँ तथा इस मुक्तारनामा विलेख में वर्णित सम्पत्ति की देखाभाल प्रबन्धा
 आदि नहीं कर पाता हूँ इसके लिये मैं अपना ओर से अपने विश्वासपात्र
 श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री किशान सिंह निवासी- 585 हरिद्वार मार्ग लक्ष्मण
 झूला रोड श्रद्धालु को अपना मुक्तारेआम नियुक्त कर ता हूँ तथा निम्न
 लिखित अधिकार प्रदान करता हूँ :-

1- यह कि मुक्तारेआम को अधिकार होगा कि वर्णित सम्पत्ति की देखाभाल
 प्रबन्धा आदि आज से अपने स्वविवेकानुसार करेगा। जो कि मेरे निर्देशानुसार
 होगा।

2- यह कि मुक्तारेआम को अधिकार होगा कि वह इस सम्पत्ति से सम्बन्धित
 मेरे ओर से किसी भी कार्यालय, न्यायालय, सरकारी, गैरसरकारी आदि में
 प्रवेदनपत्र, दे, प्राप्यपत्र दे, प्रतिप्राप्यपत्र दे, मुक्तारेआम द्वारा की उक्त
 कार्यवाही श्रेष्ठ पूर्णतः मान्य व स्वीकार होगी।

3- यह कि मुक्तारेआम को अधिकार होगा कि वर्णित सम्पत्ति छेड़ को
 विक्रय करे, तोड़कर-निर्माण कार्य करे, नगर पालिका से अनुपति ले, तोड़ने की
 अनुमति ले, प्राधिकरण से नक्शा पास करावे, बिजली, पानी, के सभा
 कनेक्शन को पो.डो. करावे। मुक्तारेआम द्वारा उक्त सभी कार्यवाही मेरे
 द्वारा की गई सम्झी जायेगी।



--3

किशान सिंह पुत्र श्री

यह कि मुख्तारनामा को अधिकार होगा कि वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करे, हस्तान्तरण करे, विक्रय अनुबन्ध करे, विक्रयपत्र निष्पादित करे, विक्रयपत्र का पंजीकरण कार्यालय सबरजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कार्यालय में उपास्थात होकर कराये, मुख्तारनामा की उक्त कार्यवाही में पूर्णतः मान्य व स्वीकार होगी।

यह कि वर्णित सम्पत्ति में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में मुख्तारनामा को अधिकार होगा कि वह निम्न न्यायालयसे उच्चतम न्यायालय तक मेरी ओर से पैरवी करे, प्राथनापत्र दे, किसी भी कार्यालय अथवा न्यायालय में मेरी ओर से उपस्थात होये हस्ताक्षर करे, मुख्तारनामा की उक्त कार्यवाही मेरे द्वारा की गई समझी जायेगी।

यह कि मुख्तारनामा आम शान्दनीय है।

यह कि मुख्तारनामा मुख्तारदाता की इच्छा पर शान्दित किये जाने योग्य है।

यह कि वर्णित सम्पत्ति नगर पालिका अधिदेश की सोमान्तगत उस्थात होने के कारण इस मुख्तारनामा से उत्तरायल भूमि अधिष्ठा उल्लघान नहीं होता है।

" विवरण सम्पत्ति "
=====

एक सम्पत्ति नगर पालिका सम्पत्ति सं. 585 जिसका पुराना नगर पालिका सम्पत्ति सं. 198/1 हरिद्वार मार्ग चन्द्रभागा पुलवार निकट गुल्शारा। अधिदेश तहसील अधिदेश जिला- देहरादून। जिसकी सोमाये निम्न प्रकार है:- जिसका एकबा-1677 वर्ग फुट या 173.96 वर्ग मीटर या 186.33 वर्ग गज है।
पूरब में - सम्पत्ति शील नाथ ।

पश्चिम में - लक्ष्मणाशुला हरिद्वार मार्ग।
उत्तर में - शिवरतन स्वामी जी की सम्पत्ति।
दक्षिण में - हेमकण्ठ गुल्शारा।



Handwritten signature and stamp.

अतः यह मुहतारनामा किलेडा आज दिनांक-24.10.05 ईसवा को स्थान
बिधिया जिला-देहरादून में मुहतारदाता द्वारा अपनी स्थिर मन बुद्धि
इन्द्रियों की स्वस्था दशा में बिना किसी के सिधालाये, वहावये, अपनी
स्वेच्छन्त इच्छा से हस्ताक्षरित कर दिया है ताकि प्रमाण रहे, और
वक्त जरूरत पर काम आवे।

[Signature]
ह. मुहतारदाता-----

ह. गवाहनु
=====

[Signature]
1. श्रीम पुरुषोत्तम शर्मा
जानाकेद शिवाजी काल
शहरीकंधा

2.-----
[Signature]



शानेश कोठारी
श्री विशम्बर दत्त कोठारी
श्री रोड, नरसिंहेश

प्राह्वक. सर्व फोटो प्रमाणितकर्ता- दिनेश प्रसाद वैन्पूली, सडवोकेट।
दकण- रोशन ब्यास।

ATTESTED TRUE COPY

[Signature] 12/13/2008

J. S. SAJWAN
Notary Rishikesh
Reg. No. 51(01)/2007

त


ता

ल

न



IV 01 135
IV 84988 245/272
388 24/10/05
S.d. Petha Negi



7900 BURT or 176
SENAR 2 1
G... ..
G... ..